U.C.N.S. NO:- 2020/0071

23/10/20 पत्रावली आज पेश हुई।
अपीलार्थी के नाम जारी नोटिस वापस अदम तामील प्राप्त नहीं, पुनः जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/11/2020 को पेश हो।

A
जिला कलेक्टर, पाली

1230
26/10/20

13/11/20 पत्रावली आज पेश हुई।
अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये जो अप्राप्त हैं। तहसीलदार को वास्ते तामीली हेतु पत्र के संलग्न नोटिस भिजवाया जाकर पत्रावली दिनांक 04/12/20 को पेश हो।

A
जिला कलेक्टर, पाली

1380
20/11/20

4/12/20 पत्रावली आज पेश हुई।
तहसीलदार बाली से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। तह० बाली के प्रत्युत्तरानुसार प्रार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई वह पत्रा सं० 81/53-54 मिसल संख्या 103/48-49 की प्रमाणित प्रति है जो अत्यन्त पुरानी होने से एक कमेटी का गठन किया गया जो NT बाली के नेतृत्व में किया गया तथा उक्त कमेटी द्वारा उक्त रेकार्ड को 26-10-2020 को ढूंढा जाकर मौका फर्द बनाई गई जिसकी प्रति संलग्न की है जिसके अनुसार प० घर कोया में पुराना रेकार्ड ढूंढा गया उसमें अपीलांट रामचंद्र द्वारा जिस रेकार्ड की प्रति सूचना की चाही वह नहीं मिली है। पुरानी फाईलें बेतरतीब व पानी टपकने से भीग जाने से रेकार्ड खराब अवस्था में पड़ा होना बताया है। इस वजह से मिसल मिली नहीं है। इस वजह से प्रार्थी को नकल अत्यन्त पुरानी होने से अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तह० बाली का पत्र शामिल मिसल है। सूचना लगभग 67-70 वर्ष पुरानी होने से R.T.I. की धारा 8(3) के तहत प्रकट किए जाने से छूट होने से प्रार्थी/अपीलांट [illegible] सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा [illegible] इस अपील के संदर्भ में [illegible] कार्यवाही शेष नहीं रहजाती है अतः इसी [illegible] पर अपील [illegible] ड्रॉप की जाती है। पत्रावली बाद फैसला होकर नम्बर से कम हो। अपीलांट व तह० बाली को सूचित किया जावे।

A
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:39:47 IST
Reason: SelfAttested